

आवेदन पत्र में जमा हस्ता/आईएल03आर0
 में जांच की गई। जिसके अनुसार

जीमात, मुताबिक आवेदन द्वारा अस्त उत्पन्न पर, आपस पत्र व काबाल नोट, ई-वाम नोट
 का आवेदन का नाम अख्मीचन्द से अक्षी-चन्द किया जाना उचित है

दिनांक : राजस्थ / 2020 /

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निर्णय है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदन का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिसूचना की जाती है / नहीं जाती है।

65
 21

पंचायत गावों के संग अभियान 2021

212314

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)
 - आदेश -

दिनांक :- 28/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मु0अ0) खाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्थ अधिकानियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में न्त दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मु0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्थान अस्त दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम	जमावन्दी सगवत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्थान रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
पानीखिवाण	2075-76	165	अख्मीचन्द पुत्र आदर राम खिस्ता है जाति अक्षी-चन्द पुरसियावास तहसील नरसिंग	अक्षी-चन्द पुत्र आदर राम खिस्ता है जाति अक्षी-चन्द पुरसियावास तहसील नरसिंग
	2075-76	34	अख्मीचन्द पुत्र आदर राम खिस्ता है जाति अक्षी-चन्द	अक्षी-चन्द पुत्र आदर राम खिस्ता है जाति अक्षी-चन्द

यदि प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उचित भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 28/10/2021

480-481

अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्तो पालनार्थ।

अक्षी-चन्द पुत्र आदर राम को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

